भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड I में प्रकाशनार्थ

फ संख्या 6/21/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 30 सितंबर, 2024

जांच शुरुआत अधिसूचना
मामला संख्या- एडी (ओआई) - 19/2024

विषय: चीन जन. गण. और रूस में उत्पन्न या निर्यात किए गए "पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (पीटीएफई)" के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत।

1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क (पहचान, मूल्यांकन और क्षति के निर्धारण के लिए पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियम" या "पाटनरोधी नियम" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. और रूस (जिसे इसके बाद "विषय देशों" के रूप में संदर्भित) में उद्भूत या वहां से निर्यातित पॉलीटेट्राफ्लोराइथिलीन (पीटीएफई) (जिसे इसके बाद "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) के समक्ष आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. और रूस से संबंधित वस्तुओं के पाटन किए गए आयात से भौतिक क्षति हो रही है और भौतिक क्षति का खतरा है और उसने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद पॉलीटेट्राफ्लोराइथिलीन (पीटीएफई) है। पीयूसी का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और रासायनिक उद्योगों में उसकी अनूठी विशेषताओं जैसे रासायनिक जड़ता, विद्युत और थर्मल इन्सुलेशन, घर्षण के कम गुणांक, नॉनटॉक्सिक, नॉनज्वलमेबल, विकिरण के प्रतिरोध, स्थैतिक और गतिशील घर्षण के निम्न स्तर और उत्कृष्ट विद्युत गुणों के लिए किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद को उप-शीर्ष 39046100 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. आवेदक ने दायर आवेदन में निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित की है:

क्र.सं.	प्राचल	नींव	पूरा नाम
१.	ए-पीटीएफई	ए-पीटीएफई	जलीय फैलाव पीटीएफई
२.	सी-पीटीएफई	सी-पीटीएफई	भरा हुआ यौगिक पीटीएफई
३.	डी-पीटीएफई	डी-पीटीएफई	फाइन पाउडर पीटीएफई
४.	पीटीएफई	पीटीएफई	दानेदार पीटीएफई (सस्पेंशन ग्रेड)
५.	पीटी-पीटीएफई	पीटी-पीटीएफई	दानेदार संशोधित पीटीएफई (मोल्डिंग ग्रेड / लो फ्लो वर्जिन ग्रेड / फ्री फ्लो वर्जिन ग्रेड)

6. वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी और प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हो, के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और विषयगत देशों से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और चीन जन.गण. और रूस से आयातित वस्तु विषयगत वस्तुओं की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। विषयगत वस्तु और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी के उपभोक्ता विषयगत वस्तु और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित विषयगत वस्तु को चीन जन.गण. और रूस से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. <u>विषय देश</u>

8. वर्तमान जांच के लिए विषय देश चीन जन. गण. और रूस हैं।

घ. <u>जांच की अवधि</u>

9. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023- 31 मार्च 2024 (12 महीने) से है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और पीओआई की अवधि शामिल है।

ङ. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>

10. नियम 2 (बी) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"घरेलू उद्योग" से वे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जो संपूर्ण समान वस्तु या घरेलू उत्पादक हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग होता है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, उस दशा में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

11. यह आवेदन गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ने दायर किया है। आवेदक ने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही आवेदक किसी निर्यातक या विषय वस्तुओं के आयातक से संबंधित है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि भारत में संबंधित वस्तुओं का केवल एक अन्य उत्पादक हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड है, जिसके पास संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता है। तथापि, इससे नगण्य मात्रा प्राप्त हुई है जिससे आवेदक भारत में संबंधित वस्तुओं का वास्तविक एकमात्र उत्पादक बन गया है।

12. उपलब्ध जानकारी के आधार पर और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करता है कि आवेदक द्वारा उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक बड़ा हिस्सा" है। इस प्रकार, आवेदक नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करता है, और आवेदन पाटन रोधी नियमों के नियम 5 (3) के तहत खड़े होने की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. <u>कथित पाटन का आधार</u>

क. <u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

13. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (आई) का हवाला दिया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमों के अनुबंध-I के पैरा 8(3) के अनुसार चीन जनसंपर्क अनुपात में उत्पादकों को यह प्रदशत करने के लिए कहा जाना चाहिए कि संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है। घरेलू उद्योग द्वारा यह बताया गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदशत नहीं कर पाते हैं कि उनकी लागत और मूल्य संबंधी सूचना बाजार द्वारा दी गई है तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

14. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ से भारत में आयात पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, यह ध्यान दिया जाता है कि विषयगत वस्तुओं में विभिन्न ग्रेड शामिल हैं और इन ग्रेडों के आयात मात्रा में महत्वपूर्ण नहीं हैं। इस प्रकार, यूरोपीय संघ से कीमतों को इस स्तर पर चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उचित आधार नहीं माना जाता है। जांच के दौरान दावे की आगे जांच

की जाएगी |

15.अत: प्राधिकारी ने जांच आरंभ करने के प्रयोजनार्थ विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को उचित लाभ के साथ समायोजित करने के पश्चात उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार विषयगत वस्तुओं के घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।

ख.<u>रूस के लिए सामान्य मूल्य</u>

16.आवेदक ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था, तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित डेटा या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा रूस के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य का निर्माण उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को विधिवत समायोजित करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संबंधित वस्तुओं के घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है।

ग. <u>निर्यात मूल्य</u>

17.निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए डीजी सिस्टम डाटा के अनुसार भारत में आयातों के लिए सूचित सीआईएफ मूल्य पर विचार किया गया है। महासागर माल ढुलाई, समुद्री बीमा, हैंडलिंग शुल्क, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के लिए समायोजन किया गया है। आवेदक द्वारा दावा किए गए निवल निर्यात मूल्यों के संबंध में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं।

घ. <u>पाटन मार्जिन</u>

18.सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना फैक्टरी स्तर पर की गई है, जो *प्रथम दृष्टया* यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन *न्यूनतम सीमा से* ऊपर है और विचाराधीन देशों से निर्यातित उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य है कि विषय देशों से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में डंप किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. संबंधित देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। विषय देशों से विषय वस्तुओं की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। विषय देशों से कम कीमत सकारात्मक है। विषय आयातों की उतराई तक की कीमत का घरेलू उद्योग की कीमतों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा। आवेदक ने दावा किया है कि पाटित आयातों की प्रतिकूल मात्रा और मूल्य प्रभाव के कारण बाजार हिस्सेदारी, नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय आदि के संबंध में उनका कार्य-निष्पादन खराब हो गया है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबंधित देशों से डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान होने का खतरा है। पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबंधित देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और उसे वास्तविक क्षति के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

20. तथापि, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जांच करने के लिए, प्राधिकारी आवेदक घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से जांच की अवधि के बाद के आंकड़े मांग सकते हैं।

ज. पाटन रोधी जांच की शुरुआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तु का पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और इस तरह के कथित पाटन और क्षति के बीच कारण संबंध के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकारी इसके द्वारा संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तु के संबंध में किसी भी कथित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एक जांच शुरू करता है, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

22. इस जांच में विज्ञापन नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>जानकारी प्रस्तुत करना</u>

23. सभी संचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते- -adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in, dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में और डेटा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हो।

24. संबंधित देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देशों की सरकार, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस आरंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें।

25. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस दीक्षा अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और इस जाच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक सबमिशन कर सकता है।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य पक्षों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

27. इच्छुक पक्षों को इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए www.dgtr.gov.in डीजीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखने की सलाह दी जाती है। इच्छुक पार्टियों को नियमित रूप से डीजीटीआर (https://dgtr.gov.in) की वेबसाइट पर जाने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि वे विषय जांच में आगे के विकास से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं, और ऐसी अन्य जानकारी के

बारे में समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले नोटिसों के बारे में सूचित रहें। यह सुनिश्चित करेगा कि विषय जांच के लिए सभी इच्छुक पक्ष विषय जांच से संबंधित प्रगति और जानकारी से अच्छी तरह अवगत रहें।

ट. **समय सीमा**

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर निम्नलिखित ईमेल पतों adv13-dgtr@gov.in , consultant-dgtr@govcontractor.in, dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए या नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

29. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

ठ. **गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना**

30. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर कोई गोपनीय निवेदन करने या सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को एक साथ एडी नियमों के नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार नोटिस के संदर्भ में उसी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकार हो सकती हैं।

31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुतिकरण (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय विवरण अलग-अलग फाइल करने की आवश्यकता होती है।

32. "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" सबमिशन को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-

गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा गैर-गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पार्टियों को इस तरह के सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

33. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी जो प्रकृति से गोपनीय और/या अन्य जानकारी है जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जो प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, जानकारी के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त है (यदि अनुक्रमण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर सारांशित किया जाता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के पदार्थ की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए संक्षेपण संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।

35. इच्छुक पार्टियां दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे सकती हैं।

36. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वारंट नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

37. उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या गोपनीयता के दावे पर अच्छे कारण के बयान के बिना किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

38. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें। सबमिशन/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पार्टी को गैर-सहकारी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

39. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या समय के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो उचित समझी जाती हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी